

## उन्नत भारत अभियान

### संदर्भ

गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ मलिकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं युक्त सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 'उन्नत भारत अभियान' (Unnat Bharat Abhiyan) के अंतर्गत लाने पर अपनी सहमति वियक्त की है।

### महत्त्वपूर्ण बंदि

- ध्यातव्य है कि उक्त वषिय के संबंघ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के मध्य 12 जनवरी 2017 को एक समझौता हुआ था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की विकासात्मक योजनाओं के नरिमाण और वतिरण में महत्त्वपूर्ण सुधार करना है।
- यह परकिलपति है कि इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतनिधि स्थानीय नकियों और कुछ चुननिदा ग्रामीण समुदायों से प्रत्यक्ष रूप से परचिति हो सकेंगे तथा उन्हें ग्राम पंचायतों के विकास योजनाओं से संबंघति आवश्यक जानकारी भी प्राप्त होगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा वभाग द्वारा इस योजना का मसौदा तैयार कया गया है। इतना ही नही देश के कई भागों में इसके प्रथम चरण को लागू भी कया जा चुका है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालति सभी उच्च शिक्षण संस्थानों तथा नयामकीय नकियों द्वारा स्वीकृत सभी संस्थानों को पछिडे ग्राम पंचायतों एवं गाँवों को अपने संज्ञान में लेने तथा उनके ज्ञान और वशिषज्जता का प्रयोग ग्राम पंचायतों के अवसंरचनात्मक ढाँचे में सुधार करने का सुझाव दया है।
- ध्यातव्य है कि इन सभी संस्थाओं को चुनी हुई पंचायतों के साथ सहयोग बढाने तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के साथ सहयोग करने का नरिदेश दया गया है।
- उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम को अगले दो वर्षों में लागू कया जाएगा। वर्तमान में देश के सभी जिलों को कवर करने के लयि कोई भी समय सीमा नरिधारति नही की गई है।

### तीन प्रमुख मंत्रालयों की भूमिका

- इस अभियान के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह देखने का कार्य सौंपा गया है कि चुने हुए उच्च शिक्षण संस्थान जिला मजसि्ट्रेटों के परामर्श से पंचायतों को अपनाए और अपने ज्ञान का उपयोग ग्रामीण समुदायों के द्वारा सामना की जाने वाली बुनयादी जरूरतों और आजीविका अवसर के समाधान हेतु उचित रूप में करें।
- त्रपिकषीय समझौते के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में जिला कलेक्ट्रों, डी.आर.डी.ए. और अन्य प्राधकिरणों की प्रभावी भागीदारी को बढावा देना है।
- पंचायती राज मंत्रालय का कार्य जी.पी.डी.पी. (Gram Panchayat Development Plan) प्रक्रया में ज्ञानवर्द्धक संस्थाओं की भागीदारी से संबंघति सुझाव सभी राज्य सरकारों और स्थानीय नकियों को जारी करना है ताकि वे चुननिदा समूहों की गुणवत्तापूर्ण जी.पी.डी.पी. तैयारी के हति में संगठनों के मध्य समन्वय स्थापति कर सकें।
- इसके अतरिकित कुछ नजी शिक्षण संस्थाओं और डीमड वशिषवदियालयों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कया गया है।